कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्र संख्या 4808 / पटना, दिनांक 13-09-2012

2 / नि॰ स्था॰ अनु॰ (वरीयता) (01)–02 / 12

प्रेषक,

अशोक कुमार झा,
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण सहित),
सहयोग समितियाँ

सभी उप–मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी

सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ

सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ

विषय :– कार्यालय परिचारी (अनुसेवक) संवर्ग के कर्मियों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालय परिचारी (अनुसेवक) संवर्ग के दिनांक 01.01.2011 को कार्यरत 209 कर्मियों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

(1) संलग्न वरीयता सूची प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 01.01.2011 को कार्यरत कार्यालय परिचारी (अनुसेवक) की औपबंधिक वरीयता सूची है।

(2) पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप झारखंड राज्य से बिहार राज्य में योगदान करने वाले कार्यालय परिचारी (यदि कोई हों) की वरीयता गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 13780 दिनांक 19.09.2011 के आलोक में पूर्ववत् औपबंधिक रूप से बरकरार रखी गई है, जो गृह (विशेष) विभाग के उक्त पत्र दिनांक 19.09.2011 के आलोक में माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हो सकेगा।

(3) कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय परिचारी को अपने स्तर से उक्त सूची से अवगत कराने की व्यवस्था की जाय।

(4) जिन कार्यालय परिचारी को सूची मे दर्ज प्रविष्टियों यथा कोटि क्रमांक, गृह जिला, जन्म तिथि, योगदान तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण कोटि आदि में कोई त्रुटि हो, तो वे उन त्रुटियों के सुधार हेतु पूर्ण साक्ष्य (अभिप्रमाणित छायाप्रति) के साथ नियंत्री पदाधिकारी / कार्यालय प्रधान के माध्यम से अपना अभ्यावेदन निर्धारित तिथि तक निदेशालय को अवश्य भेजेंगे।

(5) औपबंधिक वरीयता सूची में यदि वर्त्तमान में कार्यरत किसी कार्यालय परिचारी का नाम छूट गया है, तो सम्बन्धित कर्मी अपने नियुक्ति से सम्बन्धित साक्ष्य, सेवापुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ कोटि क्रम सूची से सम्बन्धित सभी सूचनाओं के साथ नियंत्री पदाधिकारी एवं कार्यालय प्रधान के माध्यम से निर्धारित तिथि तक निदेशालय को अवश्य भेजेंगे।

(6) कार्यालय प्रधान कृपया अपने–अपने कार्यालय स्थापना में संधारित अभिलेखों से यह सुनिश्चित करेंगे कि औपबंधिक वरीयता सूची की सभी प्रविष्टियाँ सही हैं तथा कोई मृत/लापता/पदत्याग करने वाले एवं अन्यथा किसी कार्यालय परिचारी का नाम अंकित नहीं है। तद्नुसार निर्धारित तिथि तक सभी कार्यालय प्रधान अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय से सम्बन्धित कार्यालय परिचारी की सभी प्रविष्टियाँ सही हैं तो भी उक्त आशय का प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक समर्पित किया जाय।

(7) संलग्न औपबंधिक वरीयता सूची विभागीय वेव साइट http://cooperative.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(8) दिनांक 31.10.2012 के बाद निदेशालय को प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक– औपबंधिक वरीयता सूची।

विश्वासभाजन

12/9/201-

(अशोक कुमार झा)
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

Node:5\E:\AKS Files\Gradetion List (Office Atendent).doc\Ashok.